

## राष्ट्रीय महिला आयोग

नई दिल्ली, तारीख 3 अक्टूबर, 2017

**विषय:** वर्ष 2017-18 के अधीन सेमिनार/अनुसंधान अध्ययनों का संचालन करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संवीक्षा; और (ii) पहले कराए जा चुके अध्ययनों/अनुसंधान का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति ।

राष्ट्रीय महिला आयोग, महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में विभिन्न अभिकरणों/संगठनों/संस्थाओं द्वारा संचालित अध्ययनों/अनुसंधान परियोजनाओं/सेमिनारों और अन्य कार्यक्रमों के लिए वित्तपोषण कर रहा है । चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्ताव आयोग द्वारा प्राप्त किए जा चुके हैं और उनका शीघ्र ही मूल्यांकन करने का प्रस्ताव है ।

2. राष्ट्रीय महिला आयोग का, ऐसे अध्ययनों/अनुसंधान परियोजनाओं, आदि के लिए प्रस्तावों का वस्तुपरक निर्धारण सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऐसे संसाधक व्यक्तियों की, जिनके पास सामाजिक क्षेत्र में, विशेष रूप से सरकारी, गैर-सरकारी संगठनों/विश्वविद्यालयों आदि में महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य और स्वच्छता, विधि और अन्य संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने के अनुभव हैं, सेवाओं का उपयोग करने का प्रस्ताव है ।

3. आयोग ने इससे पूर्व भी अनेक अध्ययनों/अनुसंधान परियोजनाओं, आदि का अनुमोदन किया है । इनमें से अधिकांश अध्ययन अब पूरे हो चुके हैं । आयोग का कार्रवाई योग्य मुद्दों का चयन करने की दृष्टि से ऐसे अध्ययनों का भी मूल्यांकन/पुनर्विलोकन कराने का प्रस्ताव है ।

4. उपर्युक्त दृष्टि से, यह भी निर्णय लिया गया है कि चयनित संसाधक व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग (i) सेमिनारों/अनुसंधान अध्ययनों का संचालन करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संवीक्षा; और (ii) पिछले 5-7 वर्षों के दौरान संचालित अध्ययनों/अनुसंधानों का मूल्यांकन/पुनर्विलोकन, दोनों के लिए किया जाए ।

5. तदनुसार, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा पर्याप्त अनुभव रखने वाले संसाधक व्यक्तियों को अंशकालिक आधार पर नियुक्त करने का प्रस्ताव है । चयनित व्यक्तियों को मानदेय का भुगतान किया जाएगा और बाहर से आने वाले संसाधक व्यक्तियों को आयोग के भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र, जसोला, नई दिल्ली स्थित अतिथि-गृह में वास-सुविधा प्रदान की जाएगी ।

6. इच्छुक व्यक्ति अपना सी.वी. अधोहस्ताक्षरी को [us-ncw@nic.in](mailto:us-ncw@nic.in) पर ई-मेल के माध्यम से 20 अक्टूबर, 2017 तक भेज सकेंगे ।

(आर. सी. आहूजा)

अवर सचिव



## राष्ट्रीय महिला आयोग

1. अनुसंधान का पुनर्विलोकन/मूल्यांकन/अनुसंधान अध्ययन/प्रस्तावों का मूल्यांकन के लिए इतिवृत्त का प्रोफार्मा

1.	आवेदक का नाम					
2.	बड़े अक्षरों में पता					
3.	संपर्क नं.		लैंडलाइन (एसटीडी कोड के साथ)- मोबाइल नं.-			
4.	ईमेल					
5.	जन्म की तारीख (सन् ईसवी में)					
6.	शैक्षणिक अर्हताएं (यदि स्थान अपर्याप्त है तो आवेदक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित अलग शीट संलग्न करें)					
क्रम सं.	उत्तीर्ण परीक्षा	वर्ष	लिए गए विषय	संस्थान का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय	प्राप्त अंकों की प्रतिशतता
7.	अनुसंधान के ब्यौरे कार्य/प्रकाशन/कार्य अनुभव					
8.	कोई अन्य ब्यौरे					

2. मैं यह प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। इसके अतिरिक्त यदि ऊपर दी गई जानकारी गलत/अपूर्ण/मिथ्या/कूटचित पाई जाती है तो मैं निरहित किए जाने दायी होऊंगा।

तारीख :

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

**National Commission for Women**

**New Delhi**

**Dated 3<sup>rd</sup> October, 2017**

.....

**Subject: Engagement of experts for (i) scrutiny of proposals received for conducting seminars/research studies for 2017-18; and (ii) evaluation of studies/research already carried out.**

The National Commission for Women has been funding studies/research projects/seminars and other programmes conducted by various agencies/organisations/institutions on diverse issues concerning women. The proposals for the current Financial Year have since been received by the Commission and are proposed to be evaluated shortly.

2. In order to ensure objective assessment of the proposals for such studies/research projects, etc., the National Commission for Women proposes to utilise the services of resource persons who have experience of working in social sectors especially in areas relating to women empowerment, health and hygiene, education, law and other related areas in Government, NGOs/Universities, etc.

3. The Commission had also earlier approved a large number of studies/research projects, etc. Most of these studies have since been completed. The Commission proposes to evaluate/review such studies also with a view to cull out actionable points.

4. In view of the above, it has also been decided that the services of selected resource persons may be utilized both for (i) scrutiny of proposals received for conducting seminars/research studies; and (ii) evaluating/reviewing studies/research conducted during last 5-7 years.

5. Accordingly, resource persons with adequate experience are proposed to be engaged by the National Commission for Women on part time basis. Selected persons will be paid honorarium and those resource persons coming from outstation will also be provided accommodation in the Guest House of the Commission at Plot No. 21 Jasola Institutional Area, Jasola, New Delhi for the duration of their stay for such work in New Delhi.

6. Interested persons may forward their CV to the undersigned latest by **20.10.2017** through e-mail at [us-ncw@nic.in](mailto:us-ncw@nic.in).

*sd/-*  
(R.C.Ahuja)  
Under Secretary



**NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN**

**PROFORMA FOR CV FOR REVIEW/EVALUATION OF  
RESEARCH/EVALUATION OF RESEARCH STUDIES/PROPOSALS**

1.	Name of Applicant					
2.	Address in block letters					
3.	Contact No.	Landline (with STD Code) Mobile No. _____				
4.	E-Mail					
5.	Date of Birth (in Christian era)					
6.	Educational Qualification (in case of insufficient space, please attach separate sheet duly signed by the applicant)					
S. No.	Exam Passed	Year	Subjects offered	Name of Institute	Board/University	Percentage of marks obtained
7. Details of Research Work/Publications/Work experience						
8. Any other details						

I certify that the above information is true to the best of my knowledge and belief. Further, I am liable to be disqualified in case any information given above is found to be incorrect/incomplete/false/forged.

Date :

Place :

**Signature of the Applicant**